मजबूत प्रति -22-

संख्याः 1132 /68–5–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2019

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कम में जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– आर.एम.एस.ए./महाविद्यालय/217–18/2019–20, दिनांक 12.07.2019 एवं पत्र संख्या– 3182–83/जि0बेसिकशि0/2019–20 दिनांक 25.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कम में जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु पूर्व माध्यमिक विद्यालय सढौली हरिया एवं सरगथल में कुल 01–2270 हे0 भूमि को उच्च शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में राजस्व अभिलेखों में राजकीय हाई स्कूल साढौली हरिया के नाम दर्ज गाटा सं0 241/सरगथल (मु0) में से **0–8440हे0**, उच्च प्राथमिक विद्यालय सढौली हरिया के नाम दर्ज गाटा सं0 230/सढौली हरिया (मु0) में से **0–3110हे0** एवं गाटा सं0 233/सढौली हरिया (मु0) में **0–0310हे0** तथा जूनियर हाई स्कूल ग्राम सढौली हरिया के नाम दर्ज गाटा सं0 229 में **0–0410हे0** अर्थात **कुल 01–2270हे0** भूमि पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

भवदीया,
29.11.19
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
2– शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0।
3– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
4– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।